30/9/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद तामिल अनु0 रहने से अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम भगोठ के खाता सं0 136 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम सैता पुत्र जैसा गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शैतान पुत्र मेसाराम है। भूप्रबन्धन से पहले जमाबन्दी संवत 2032–35 तक प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सैता पुत्र मैसा दर्ज है, इसके बाद की जमाबन्दियों में मैसा को लिपिकीय त्रुटि से जैसा लिख दिया गया जो आजदिनांक तक लगातार गलत चला आ रहा है। तथा प्रार्थी के सही नाम शैतान के स्थान पर बोलता नाम सैता गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का सही नाम शैतान पुत्र मेसाराम अंकित है जिसकी फोटो प्रतिलिपियां प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने बतौर साक्ष्य स्वयं का व गवाहान के रुप में श्रीराम पुत्र रुड़ाराम का लिखित व नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का बोलता नाम सैता पुत्र जैसा गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के सही नाम शैतान पुत्र मेसाराम की पुष्टि प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड से व बतौर साक्ष्य स्वयं के व गवाहान के रुप में श्रीराम पुत्र रुड़ाराम के लिखित व नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है:–

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
भगोठ	खाता सं0 136	सैता पुत्र जैसा	शैतान पुत्र मेसाराम

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी